न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (डीडवाना – कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :– बलबीर सिंह, आर.ए.एस.

वादीगण :– बनाम प्रतिवादीगण :–

1. रेखाकंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह राजपूत
2. रामसिंह पुत्र रणजीतसिंह राजपूत
3. विष्णुकंवर पत्नी रामसिंह राजपूत
4. लक्ष्मणसिंह पुत्र राणजीतसिंह राजपूत
5. रणजीतसिंह पुत्र रूपसिंह राजपूत

निवासी सभी ग्राम सावा तह. फागी
जिला जयपुर, राजस्थान

1. धर्मीचन्द पुत्र जुगराज जैन
2. गणेश पुत्र नाथूराम राईका
3. गुलाब पत्नी नाथूराम राईका
4. मोहरा पुत्री नाथूराम राईका
5. चूंकादेवी पुत्री नाथूराम राईका
6. मंजूदेवी पुत्री नाथूराम राईका
7. संतोषदेवी पुत्री नाथूराम राईका

निवासी ग्राम बस्सी तह. परबतसर

8. तहसीलदार, परबतसर

दावा बाबत :– बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित श्री श्यामनिरंजन बोहरा, अधिवक्ता , वादीगण
श्री अरूण कुमार माथूर अधिवक्ता , प्रतिवादी संख्या – 1

मुकदमां नम्बर :– 2017/00052 निर्णय दिनांक :– 16/01/2024

1– वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामनिरंजन बोहरा ने यह वाद पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम बस्सी के खसरा नम्बर 443, 444, 446, 447 कुल रकबा 12.72 हैक्टयर स्थित स्थित है जिसके वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि में वादीगण का 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी 2 से 7 का 1/8 हिस्सा है। प्रतिवादी 2 से 7 के पिता व पति नाथूराम की मृत्यु हो चुकी है लेकिन राजस्व रिकार्ड में नाथूराम का ही नाम दर्ज चला आ रहा है। वादीगण का हिस्सा व रकबा पृथक – पृथक राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि का मौके पर आपसी सहमती से बंटवारा हो रखा है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण की सींवे माठें अलग अलग कायम हो रखी है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हो रखा है। वादीगण ने वाद पेश कर उक्त भूमि में अपने 3/4 हिस्से की भूमि का विधिवत रूप से बंटवारा किया जाकर अलग से नक्श ट्रेस में तरमीम किये जाने की इस्तदुआ की है।

2– वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 23.10.2017 को प्रतिवादी 2 से 8 के सम्मन विधिवत रूप तामील होकर प्राप्त

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना - कुचामन)

होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। दिनांक 27.09.2022 को प्रतिवादीगण का सम्मन तामील होकर प्राप्त होन के बाद अधिवक्ता श्री अरूण कुमार माथूर ने प्रतिवादी 1 की ओर से अण्डटेकिंग प्रस्तुत कर वकालतनामा व जबाब दावा पेश करने हेतु समय चाहे जाने पर समय दिया गया। तत्पश्चात काफी समय दिया जाने के बावजूद प्रतिवादी 1 के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा व जबाब पेश नहीं करने व प्रतिवादी स्वंय अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी के अधिवक्ता के निवेदन पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। वकील वादीगण ने उक्त भूमि में वादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने एवं रिकार्ड में हक हिस्सा व रकबा अंकित होने के आधार पर बंटवार करवाना चाहते है, जिससे साक्ष्य पेश नहीं कर मुताबिक राजस्व रिकार्ड के अनुसार बंटवारा घोषित करने का निवेदन किया गया। वाद के साथ जमाबन्दी सम्वत 2072–75 प्रस्तुत की है। जिसकी खातेदारी छोटीलाल पुत्र सूजीलाल, लीलादेवी पत्नी छोटीलाल 3/8 हिस्सा जाति माली निवासी आमवाली ढाणी वायरलेस आंफिस के पीछे सांगनेर रोड जिला जयपुर , धरमीचन्द पुत्र जुगराज जैन पाटनी 1/8 हिस्सा, नाथूराम पुत्र मेघाराम जाति राईका 1/8 हिस्सा दर्ज रिकार्ड थी। जिसमें खातेदार छोटीलाल पुत्र सूजीलाल फौत होने पर पर जरिये विरासत नामान्तकरण ग्यारसीदेवी माता छोटलाल, लीलादेवी पत्नी छोटीलाल, दिनेश कुमार, लोकेश जुगलकिशोर बालकिशन पि. छोटीलाल ललितादेवी पुत्री छोटीलाल के नाम दर्ज किया गया। जिसके बाद खातेदार ग्यारसीदेवी माता छोटीलाल, लीलादेवी पत्नी छोटीलाल, दिनेश कुमार, लोकेश जुगलकिशोर बालकिशन पि. छोटीलाल ललितादेवी पुत्री छोटीलाल ने अपना सम्पूर्ण 3/4 हिस्सा बैचान करने पर सुरजंवर पत्नी नरेन्द्रसिंह जाति राजपूत रकबा 0.80 हैक्टयर सा.देह, रेखाकंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत रकबा 1.80 सा. सावा का बास पंचाला फागी जिला जयपुर, रामसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत रकबा 1.94 हैक्टयर, सा. मडोर जयपुर, विष्णुकंवर पत्नी रामसिंह जाति राजपूत रकबा 1.94 हैक्टयर सा. कड़ेल जिला अजमेर , लक्ष्मणसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत रकबा 1.94 हैक्टयर सा. सावा का बास मडोर जयपुर , रणजीतसिंह पुत्र रूपसिंह राजपूत रकबा 1.13 हैक्टयर सा. सावा का बास मडोर जयपुर 3/4 हिस्सा खातेदार दर्ज हुआ जिसके बाद सुरजकंवर पत्नी नरेन्द्रसिंह कौम राजपूत रकबा 0.80 हैक्टयर भूमि के स्थान पर विषणुकंवर पत्नी रामसिंह जाति राजपूत रकबा 0.80 हैक्टयर सा. कड़ेल तहसील अजमेर दर्ज किया गया। जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त विवादित आराजयत में वादीगण सम्पूर्ण भूमि में 3/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना - कुचामन)

है, प्रतिवादी 1 का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी 2 से 7 का 1/8 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी के अनुसार वादी संख्या 1 का रकबा 1.80 हैक्टयर, वादी संख्या 2 का 1.94 हैक्टयर, वादी संख्या 3 का 2.94 हैक्टयर वादी संख्या 4 का 1.94 हैक्टयर वादीगण संख्या 5 का 1.13 हैक्टयर भूमि का अलग – अलग उल्लेख किया हुआ है। जिसका वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा करवाने का निवेदन किया गया। वादीगण का दिनांक 26.12.2023 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार परबतसर को आदेश दिया गया कि ग्राम बस्सी के खसरा नम्बर 443, 444, 446, 447 कुल रकबा 12.72 हैक्टयर भूमि में वादीगण की खातेदारी में दर्ज हक हिस्से के अनुसार उभय पक्षकारो को विधिवत रूप से सूचित कर मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार कुर्रेजात (बंटवारा प्रस्ताव) रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करे।

3– तहसीलदार परबतसर ने पत्रांक : भू.अ./2024/06 दिनांक 08.01.2024 के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ। जिसकी प्रति उभय पक्षकारो के अधिवक्ताओं को दी गई। जिन्होने बंटवारा प्रस्ताव पढ़ समझ कर सही होना स्वीकार किया तथा मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खातेदारी घोषणा की जाकर अलग – अलग होल्डिंग कायम करने का निवेदन किया गया।

अतः वादीगण वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि ग्राम बस्सी के खसरा नम्बर 443, 444, 446, 447 कुल रकबा 12.72 हैक्टयर भूमि का तहसीलदार परबतसर के पत्रांकः भू.अ./2024/06 दिनांक 08.01.2023 के संलग्न बंटवारा प्रस्ताव में वर्णित अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी में घोषित किया जाता है। मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड दर्ज किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण की अलग अलग होल्डिंग कायम की जावे। बंटवारा प्रस्ताव डिक्री का पार्ट रहेगा। नियमानुसार स्टाम्प डुयूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलबीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना-कुचामन)

डिक्री मुकदमां इब्तहाई (ओ. 20 रूल 6–7 दीवानी)

अदालतः– उपखण्ड अधिकारी परबतसर, जिला (डीडवाना– कुचामन), राज.

अज अदालत :– श्री बलबीर सिंह, आर.ए.एस.

वादीगण :– बनाम प्रतिवादीगण :–

वादीगण :–

1. रेखाकंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह राजपूत
2. रामसिंह पुत्र रणजीतसिंह राजपूत
3. विश्णुकंवर पत्नी रामसिंह राजपूत
4. लक्ष्मणसिंह पुत्र राणजीतसिंह राजपूत
5. रणजीतसिंह पुत्र रूपसिंह राजपूत

निवासी सभी ग्राम सावा तह. फागी
जिला जयपुर, राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. धर्मीचन्द पुत्र जुगराज जैन
2. गणेश पुत्र नाथूराम राईका
3. गुलाब पत्नी नाथूराम राईका
4. मोहरा पुत्री नाथूराम राईका
5. चूंकादेवी पुत्री नाथूराम राईका
6. मंजूदेवी पुत्री नाथूराम राईका
7. संतोषदेवी पुत्री नाथूराम राईका

निवासी ग्राम बस्सी तह. परबतसर

8. तहसीलदार, परबतसर

दावा बाबत :– बंटवारा व रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा।

मुकदमां नम्बर :– 2017/00052 निर्णय दिनांक :– 16.01.2024

यह मुकदमां आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू........बहाजरी श्री श्यामनिरंजन बोहरा, अधिवक्ता वादीगण, श्री अरूणकुमार माथूर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 मिनजानिब मुदई रूबरू......मिनजानिब मुदालह पेश होकर दिया जाता है कि व डिक्री दी जाती हैं कि :–

ग्राम बस्सी के खसरा नम्बर 443, 444, 446, 447 कुल रकबा 12.72 हैक्टयर भूमि का तहसीलदार परबतसर के पत्रांकः भू.अ./2024/06 दिनांक 08.01.2023 के संलग्न बंटवारा प्रस्ताव में वर्णित अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी में घोषित किया जाता है। मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड दर्ज किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण की अलग अलग होल्डिंग कायम की जावे। बंटवारा प्रस्ताव डिक्री का पार्ट रहेगा। नियमानुसार स्टाम्प डुयूटी पेष होने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.01.2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखतः

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी परबतसर

उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना - कुचामन)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा			स्टम्प अर्जीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गाहान		
खर्चा गाहान			फीस कमिष्नर		
फीस कमिष्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरीक		
मुतफरीक					
मीलान			मीजान		